

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1980/आश्विन 16, 1902
No. 471] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1980/ASVINA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1980

का०आ० 839(अ).—केन्द्रीय सरकार की, मैसर्स काशीराम टी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पी-11, न्यू हावड़ा एप्रोच रोड, कलकत्ता-1 के स्वामित्वाधीन बाजिलिंग जिन्ना के कलियोंग सबवर्डिबीमन में स्थित, सामाविर्गोंग टी एस्टेट नामक चाय एकक की बाबत, यह राय है कि—

- (1) पांच वर्ष की अवधि में, अर्थात् 1974 से 1978 की अवधि में, उक्त चाय एकक को 1974 से लगातार चार वर्ष तक हानि हुई है;
- (2) वर्ष 1974 से 1978 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज, जिसे की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत (25%) कम रही है;
- (3) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोकहित के लिए बहुत अपायकर है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वाणिज्य और सागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० 725(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1979 को अधिव्यक्त करते हुए उक्त चाय एकक के मामलों का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (1) श्री एम० एस० नन्दकील्यार, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड ।
- (2) श्री एम० विश्वाम, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड ।
- (3) श्री बी०एल० विश्वाम, उप-सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
- (4) श्री ए० के० रायचौधरी, उप-सलाहकार (वित्त), लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर, भवन, कलकत्ता
- (5) श्री एम०एस० शाह, संयुक्त निदेशक (लेखा), कार्यालय प्रादेशिक निदेशक, कंपनी विधि बोर्ड, कलकत्ता ।

2. व्यक्तियों का उक्त निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा०सं० बी-12012(5)/79-प्लान्ट(ए)]

जी० डब्ल्यू० तेलंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1980

S.O. 839(E).—Whereas the Central Government is of opinion that in respect of the tea unit known as Sambeong Tea Estate in Kalimpong Sub-division of Darjeeling district, owned by M/s. Kashiram Tea Industries Ltd., P-11, New Howrah Approach Road, Calcutta-1, that—

- (i) out of the period of five years, 1974—78, the tea unit has made losses consecutively for four years from 1974;
- (ii) the average yield of the tea unit during the years 1974 to 1978 has been lower than the district average yield by twenty five per cent (25%);
- (iii) the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Civil Supplies No. 725(E), dated the 14th November, 1979, the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of—

1. Shri S. S. Nundkeoliar, Director of Tea Development, Tea Board.

2. Shri S. Biswas, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Tea Board.
 3. Shri B. L. Biswas, Deputy Secretary, Commerce & Industries Deptt., Government of West Bengal, Calcutta.
 4. Shri A. K. Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhawan, New Delhi.
 5. Shri M. L. Sah, Joint Director (Accounts), Office of the Regional Director Company Law Board, Calcutta.
2. The said body of person shall submit its report to the Central Government within a period of ninety days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[File No. B-12012(5)/79-Plant(A)]

D. W. TELANG, Jt. Secy.

